साउथ ऑस्ट्रेलिया में एनडीआईएस के लिए तैयारी की जा रही है

साउथ ऑस्ट्रेलिया में नेशनल डिसेबलिटी इंश्योरेंस स्कीम (एनडीआईएस) 1 फरवरी 2016 से शुरु हो जायेगी।

एनडीआईएस क्या है?

एनडीआईएस उन लोगों को निजीकृत सहायता प्रदान करने का एक नया तरीका है जिनमें, आजीवन बने रहने की संभावना वाली कोई दुर्बलता या स्वास्थ्य संबंधी कोई स्थिति है, या किसी विकासात्मक विलंब के कारण, अपने जीवन की दैनिक गतिविधियों में हिस्सा लेने की उनकी क्षमता पर असर पड़ता है। इस परियोजना का नियोजन नेशनल डिसेबलिटी इंश्योरेंस एजेंसी (एनडीआईए) द्वारा किया जा रहा है।

एनडीआईएस का प्रारंभ एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, और इसे सही तरीके से लागू करना तथा वहनीय बनाना महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे विभिन्न चरणों में शुरु किया जा रहा है।

अब तक, एनडीआईएस का देश के विभिन्न स्थानों में परीक्षण के तौर पर प्रयोग हो चुका है। साउथ ऑस्ट्रेलिया में एनडीआईएस का परीक्षण के तौर पर प्रयोग 1 जुलाई 2013 से प्रारंभ हुआ था और साउथ ऑस्ट्रेलिया के, 0 से 13 वर्ष के बीच की आयु वाले, 5,200 से भी ज़्यादा निवासियों को, एनडीआईएस से सहायता मिल चुकी है।

एनडीआईएस राज्य में सभी जगहों पर, आयु के आधार पर, अगले दो वर्षों में, उत्तरोत्तर उपलब्ध करा दी जायेगी। अनुमान है कि, शुरुआत हो जाने के बाद, साउथ ऑस्ट्रेलिया के 32,000 से भी ज़्यादा निवासियों का एनडीआईएस में पारगमन (ट्रांज़िशन) हो जायेगा।

एनडीआईएस कैसे काम करती है?

एनडीआईएस, निजीकृत योजनाओं की रचना करने के लिए, एक लचीला, आजीवन सहभागिता का दृष्टिकोण अपनाते हुए भागीदारों, उनके परिवारों और देखभालकर्ताओं के साथ मिलकर काम करती है। एनडीआईएस, भागीदारों को सहायतायें कैसे, कब और कहाँ मिलेंगी उस बारे में भागीदारों के लिए और अधिक विकल्प और नियंत्रण प्रदान करती है। इससे उनको यह निश्चितता भी मिलती है कि उनको जिस सहायता की आवश्यकता है वो उन्हें आजीवन मिलती रहेगी।

एनडीआईएस, अपने भागीदारों को सामुदायिक तथा मुख्यधारा की सहायताओं से जोड़ने के लिए काम करती है। एनडीआईएस अपने भागीदारों को, उनके लक्ष्यों को पाने के लिए प्रयास, तथा दैनिक जीवन में भाग लेने में सहायता करने के लिए, अतिरिक्त उचित और आवश्यक सहायताओं के लिए अनुदान देती है।

लोगों को अपनी सामाजिक तथा आर्थिक हिस्सेदारी बढ़ाने में सहायता करने के लिए, एनडीआईएस को अक्षमता वाले लोगों के लिए अवसरों की पहचान करने हेतु सामुदायिक संगठनों के साथ मिलकर काम करने की ज़रुरत होती है।

साउथ ऑस्ट्रेलिया में, बहुत से ऐसे सुस्थापित सामुदायिक संगठन हैं जो अक्षमता वाले लोगों को एनडीआईएस के लिए तैयारी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे।

अक्षमता वाले लोगों की अपने लक्ष्यों को पाने में सहायता करने में भी उन संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

इसकी शुरुआत का काम कैसे होगा?

लोगों को धीरे-धीरे एनडीआईएस में कैसे शामिल किया जायेगा उस बारे में कॉमनवैल्थ सरकार तथा साउथ ऑस्ट्रेलियाई सरकार के बीच में बातचीत हो चुकी है।

1 फरवरी 2016 से, संपूर्ण साउथ ऑस्ट्रेलिया में 0 से 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को एनडीआईएस में शामिल करने का काम जारी रहेगा।

1 जनवरी 2017 से, संपूर्ण साउथ ऑस्ट्रेलिया में 15 से 17 वर्ष तक की आयु वाले अल्प व्यस्कों को एनडीआईएस में शामिल करने का काम शुरु होगा।

1 जुलाई 2017 से, 18 से 64 वर्ष तक की आयु वाले व्यक्तियों को, उनके आवासीय स्थलों के हिसाब से, एनडीआईएस में शामिल करने का काम शुरु होगा। 1 जुलाई 2017 से जिन क्षेत्रों का सबसे पहले एनडीआईएस में पारगमन (ट्रांज़िशन) शुरु होगा, वे होंगे:

- साउथ ऑस्ट्रेलियाई प्रशासनिक क्षेत्र: बरोसा, लाईट तथा लोअर नॉर्थ
- स्थानीय प्रशासनिक क्षेत्र: प्लेफर्ड, सैल्सबरी तथा पोर्ट एडिलेड एन्फील्ड (पूर्व)।

निम्नलिखित क्षेत्रों का अक्टूबर 2017 से एनडीआईएस में पारगमन (ट्रांज़िशन) होगा:

- साउथ ऑस्ट्रेलियाई प्रशासनिक क्षेत्र: लाइमस्टोन कोस्ट तथा मरे और मैली
- स्थानीय प्रशासनिक क्षेत्र: टी ट्री गली।

निम्नलिखित साउथ ऑस्ट्रेलियाई प्रशासनिक क्षेत्रों का जनवरी 2018 से एनडीआईएस में पारगमन (ट्रांज़िशन) होगा:

- फ्लेरीर तथा कैंगरू आईलैण्ड
- दक्षिणी एडिलेड
- एअर तथा वैस्टर्न
- सुदूरवर्ती उत्तर
- योर्क तथा मिड नॉर्थ।

साउथ ऑस्ट्रेलिया में एनडीआईएस 1 फरवरी 2016 से शुरु हो जायेगी।

निम्नलिखित साउथ ऑस्ट्रेलियाई प्रशासनिक क्षेत्रों का अप्रैल2018 से एनडीआईएस में पारगमन (ट्रांज़िशन) शुरु होगा:

- एडिलेड हिल्स
- पूर्वी एडिलेड
- पश्चिमी एडिलेड।

आपके क्षेत्र के पारगमन (ट्रांज़िशन) के बारे में विस्तृत विवरण के लिए एनडीआईएस की वेबसाइट पर जायें।

एनडीआईएस से किसे सहायता मिल सकती है?

साउथ ऑस्ट्रेलिया में एनडीआईएस से सहायता पाने हेतु लोगों के लिए आवश्यक है कि वे:

- ऐसे क्षेत्र में रहते हों जहाँ एनडीआईएस उपलब्ध है;
- आयु तथा नागरिकता से संबंधित आवश्यकतायें पूरी करते हों; और
- अक्षमता या समय पर हस्तक्षेप से संबंधित आवश्यकतायें पूरी करते हों।

एनडीआईएस की वेबसाइट पर उपलब्ध सहायता (एक्सेस) संबंधी जाँच-सूची, सहायता पाने के लिए निर्धारित आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है।

मैं तैयारी करने के लिए क्या कर सकता हूँ?

अगर आपको वर्तमान में अक्षमता सेवायें मिलती हैं और आप एनडीआईएस में शामिल होने के लिए पात्र हैं तो आपका पारगमन (ट्रांज़िशन) होने से पहले आपसे संपर्क किया जायेगा। अगर आपको वर्तमान में सहायता नहीं मिलती हो तो भी, हो सकता है कि आप एनडीआईएस से सहायता प्राप्त कर सकेंगे। आपकी सहायता करने के लिए अतिरिक्त सूचना तथा संसाधन **ndis.gov.au/sa** पर उपलब्ध हैं।

और अधिक जानकारी

1800 800 110*	सवेरे 8 से शाम 5 बजे तक (एईएसटी) सोमवार से शुक्रवार
टीटीवाय 1800 555 677	श्रवण तथा वाक् क्षमता रहित लोगों के लिए
1800 555 727	बोलें तथा सुनें:
टीआईएस 131 450	अंग्रेज़ी में सहायता की ज़रुरत वाले लोगों के लिए
हमारा ट्विटर पर @NDIS पर अनुसरण करें	हमसे फेसबुक पर facebook.com/NDISAUS पर मिलिए

*स्थापित (फिक्स्ड) लाइनों से 1800 नंबर पर किये जाने वाले कॉल्स नि:शुल्क होते हैं। मोबाइल फ़ोनों से किये गये कॉल्स पर शुल्क लग सकता है।